न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या 29/2012

शीशपाल पुत्र बलराम कस्वां जाति जाट निवासी
खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
––अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।
––प्रत्यार्थी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.5.2012 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 118/2011 अनवान सरकार बनाम शीशपाल जिसके द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर जमा शुदा प्रतिभूति राशि जब्त की गई, बमुराद मन्सुखी आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः–1–श्री राजीव कुलश्रेष्ठ वकील अपीलार्थी
2–श्री सोहन लाल सहारण राजकीय
अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–08.03.2017

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के विरूद्ध नायब तहसीलदार रावतसर द्वारा अपने पत्र कमांक 11.11.2011 के जरिये प्रत्यार्थी को रिपोर्ट पेश की गई थी। श्री सत्यनारायण ए.एस.आई. की सूचना पर पुलिस थाना रावतसर में वाहन संख्या आर.जे. 10–जी–0837 में लदान की गई गेहूँ जो ड्राइवर व एक अन्य व्यक्ति सन्तराम द्वारा अपीलार्थी से लाना बताया गया। उन्होने बताया कि उक्त गेहूँ हमे अपीलार्थी द्वारा दिया गया है व अपीलार्थी द्वारा उन्हे इस गेहूँ को रावतसर भादू पैट्रोल पम्प के पास रोकने के लिए कहा गया जिसकी जांच पुलिस थाना रावतसर के ए.एस.आई. द्वारा करने पर वाहन में 22 कट्टे

फ्न
जिला कलक्टर
हनुमानगढ

भारतीय खाद्य निगम मार्का के जो मशीन से सिले हुए है व शेष खुली हुई गेहूं गाड़ी में थी व बारदाना के खाली 68 कट्टे है। अपीलार्थी के विरूद्व प्रत्यार्थी द्वारा मामला दर्ज किया गया एंव अपीलार्थी के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना रावतसर में दर्ज करवाई गई। अपीलार्थी द्वारा अपना जवाब दिनांक 9.12.2011 को प्रस्तुत कर इस जब्त किये गये गेहूं से उसका कोई लेना देना नहीं होने के कथन किए गए व यह भी कथन किए गए कि गाड़ी के ड्राईवर व सन्तराम द्वारा बताये अनुसार पुलिस द्वारा बयान अंकित नहीं किये। जबकि पुलिस ने स्वयं के तरीके से गलत बयान दर्ज किए। अपीलार्थी का स्टॉक रजिस्टर पूर्णतया सही है। अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किए गये कि अपीलार्थी की मौसी का लड़का जयपुर संजीवन हास्पीटल में भर्ती था। जिससे मिलने अपीलार्थी गया हुआ था। इसी वजह से समय पर स्टॉक व वितरण रजिस्टर पेश नही कर सका। अपीलार्थी द्वारा समस्त रिकॉर्ड संधारित किया हुआ है। प्रत्यार्थी द्वारा पत्रावली में एस.एच.ओ. से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट मांगने के लिए आदेश दिये गये। पत्रावली दिनांक 9.1.12, 6.1.12 व 23.3.12 को इसी हेतु पेशी में ली गई। दिनांक 23.3.12 को प्रत्यार्थी द्वारा आगामी पेशी दिनांक 27.4.12 नियत की गई। परन्तु दिनांक 27.4.12 को अपीलार्थी के उपस्थित आने पर प्रत्यार्थी द्वारा अपीलार्थी को स्वयं के अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण बाद में तारीख पेशी की जानकारी प्राप्त करने का कहा। जिस पर अपीलार्थी द्वारा बाद में कई बार इस प्रकरण में आगामी तारीख पेशी की जानकारी प्रत्यर्थी से चाही जाती रही। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई जानकारी अपीलार्थी को नही दी गई व दिनांक 03.8.2012 को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को यह बताया गया कि उसकी पत्रावली में दिनांक 18.5.2012 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिस पर तुरन्त इस निर्णय दिनांक 18.5.2012 की जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा इस निर्णय व समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 08.08.2012 को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई गई। इस प्रकार अपीलार्थी को इस निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 08.08.2012 को हुई। अपीलार्थी द्वारा अपीलधीन आदेश से व्यतीत होकर यह अपील की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की तलबी की गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहां दिनांक 9.12.2011 को जबाव प्रस्तुत किया जिसमें जब्त किये गये गेहूं से उसका कोई लेना देना नहीं है। अपीलार्थी का स्टॉक रजिस्टर सही पाया गया है। अपीलार्थी के मौसी का लड़का जयपुर संजीवन हास्पीटल में भर्ती होने के कारण उससे मिलने जयपुर गया हुआ था जिसके कारण स्टॉक व वितरण रजिस्टर समय पर पेश नही कर सका। अपीलार्थी द्वारा समस्त रिकॉर्ड संधारित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रगति रिपोर्ट के संबंध में जेरकार थी जिसमें दिनांक 27.4.2012 नियत थी। इसके बाद अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी की

ला कलक्टर
हनुमानगढ

जानकारी चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जानकारी नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 03.8.2012 को यह जानकारी दी गई कि उसकी पत्रावली में दिनांक 18.5.2012 को निर्णय पारित किया जा चुका है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अपीलार्थी के जबाव को After Thought मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गेहूँ की कालाबाजारी करने के उद्धेश्य से रावतसर के बाजार में विक्रय करने हेतु ले जा रहा था। अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गेहूँ में गम्भीर अनियमिताऐं की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंधन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वकील ने दोराने बहस यह कथन किया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलार्थी (डिपू होल्डर) द्वारा दिनांक 9.12.2011 को जवाब पेश किया जाना पाया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 9.12.2011 को अधीनस्थ न्यायालय में किए गए जवाब का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की जांच नायब तहसीलदार (प्रवर्तन निरीक्षक) रावतसर द्वारा की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार (प्रवर्तन निरीक्षक) रावतसर की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 08.3.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ